राजस्थान सरकार
न्यायालय तहसीलदार, सुजानगढ (चूरु)

–: निर्णय :–

नम्बर मुकदमा – 6/2017 | निर्णय दिनांक – 18.09.17

पत्रावली का वास्ते निर्णय अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का ने रिपोर्ट पेश की है कि रोही बीङ छापर के खसरा नम्बर 35 कुल रकबा 16.01 बीघा गै.मु.सिवाय चक में से 8.00 बीघा भमि पर गोमतीदेवी पत्नि नन्दकिशोर जाति प्रजापत निवासी सुजानगढ द्वारा नाजायज रुप से काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अतिक्रमी को अपना पक्ष पेश करने हेतु दिनांक 25.08.17 को नोटिस दिया गया। नियत दिनांक 30.08.17 को नोटिस विधिवत तामिल हेतु पुनः दिया गया। जो बाद तामिल 11.09.17 को प्राप्त होकर शामील पत्रावली किया गया। पत्रावली को वास्ते निर्णय 18.09.17 रखा गया। दिनांक 13.09.17 को अधिवक्ता श्री रतनलाल साध द्वारा वकालत नामा व जबाब नोटिस प्रस्तुत किया गया जिसे शामील पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया अप्रार्थी अधिवक्ता ने जबाब नोटिस के साथ माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सुजानगढ के निर्णय दिनांक 22.10.2011 की छाया प्रति प्रस्तुत की, जिसमें मूल दावा के निस्तारण तक प्रत्यर्थी/अप्रार्थीगण, प्रार्थीया/अपीलार्थीया को वाद ग्रस्त भूमि से बिना विधिक प्रकिया अपनाये बेदखल करने से अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया गया। पत्रावली में विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये पूर्व राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया जिसमें यह पाया गया गत वर्ष उक्त आराजी खसरा पर अप्रार्थीया का कब्जा नही था। गैर सायल को रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं राजस्व रिकार्ड के आधार पर अतिक्रमी पाया गया। अतः भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत आराजी खसरा नम्बर 35 कुल रकबा 16.01 बीघा गै.मु.सिवाय चक में से 8.00 बीघा पर गोमतीदेवी पत्नि नन्दकिशोर जाति प्रजापत निवासी सुजानगढ को अतिचारी घोषित किया जाकर अतिक्रमित रकबे से बेदखल करने का आदेश दिया जाता है । साथ ही अतिक्रमण करने के जुर्म में राजस्व लगान 0.70 रुपये प्रति बीघा की दर से 50 गुणा 35 रुपये तावान से दण्डित किया जाता है। भू.अ. निरीक्षक को आदेश दिया जाता है कि कुर्क शुदा खडी फसल को नीलाम की जाकर राशि राजकोष में जमा करावे तथा अतिक्रमी को बेदखल करने तथा पटवारी हल्का को तावान राशि वसूल करने हेतु लिखा जावे । TRA से रिकार्ड में तावान राशि का अंकन कराया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर बातरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरेआम इजलास में सुनाया गया।

तहसीलदार
सुजानगढ (चूरु)

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार सुजानगढ

क्रमांक– राजस्व / 2017 / 552–553 दिनांक .09.2017

–: आदेश :–

न्यायालय की पत्रावली संख्या 06 / 2017 निर्णय दिनांक 18.09.17 के अनुसरण में अतिक्रमी गोमतीदेवी पत्नि नन्दकिशोर जाति प्रजापत निवासी सुजानगढ को रोही बीङ छापर के खसरा नम्बर 35 कुल रकबा 16.01 बीघा गै.मु.सिवाय चक में से 8.00 बीघा भूमि से बेदखल किया जाता है तथा तावान 35.00 रुपये कायम किया जाता है। भूमि पर खडी कुर्क शुदा फसल की नीलामी की कार्यवाही कर राशि राजकोष में जमा करने के आदेश जारी किये गये है।

तहसीलदार
सुजानगढ

क्रमांक– राजस्व / 2017 / दिनांक .09.2017

1. प्रतिलिपि भू.अ.निरीक्षक सुजानगढ को उक्तानुसार कार्यवाही सपांदित कर पालना रिपोर्ट 3 दिन में पेश करे।
2. प्रतिलिपि पटवारी हल्का देवाणी को तावान राशि वसूल करने हेतु ।

तहसीलदार
सुजानगढ

528
रिसीव 27-9-17
ILR Sug.

27/9/17

Scanned by CamScanner